न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/345

1. राधाकृष्ण पुत्र गोपाल (मृतक) कायममुकामान :–
   1/1. रमेश पुत्र राधाकिशन उम्र 55 वर्ष ।
   1/2. प्रकाश पुत्र राधाकिशन उम्र 53 ।
   1/3. लाडकंवर पुत्री राधाकिशन उम्र 51 ।
   1/4. रामस्वरूप पुत्र राधाकिशन उर्म 48 ।
   1/5. धनकंवर पुत्र राधाकिशन उम्र 45 ।
   1/6. चतरू बाई बेवा राधाकिशन उम्र 75 साल जाति बैरागी निवासीगण ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रामनारायण पुत्र गोपाल जाति बैरागी उम्र 75 साल निवासी ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हरिमोहन पुत्र प्रकाश जाति बैरागी निवासी ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बृजमोहन पुत्र मानसिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. नन्दलाल पुत्र मानसिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 17.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रानक्याखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 234 रकबा

15 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 232 की रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा कुल 02 किता कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है । उक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व संवत् 2016 से 2024 में राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदारी वादीगण के नाम अंकित है तथा मुताबिक पट्टा सनद में भी वादीगण का नाम अंकित है । उक्त भूमि पर वादीगण काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी क्रम 1 ने बिना सूचना दिये ही वादीगण का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर उक्त आराजी को खाते सरकार दर्ज कर दिया है और उक्त आराजी को जलमग्न तलाई दर्ज कर दिया गया है एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन पेटा तलाब अंकित कर दिया है । उक्त भूमि पूर्व में कभी भी राजस्व रिकॉर्ड में तलाई अंकित नहीं रही है । उक्त भूमि वादीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही थी तथा वादीगण के आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार वादीगण के हिस्से में आई है । उक्त आराजी को वादीगण के पौत्र ने बिना सहमति के प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को बेचान र दी है जिन्हें बेचान का कोई विधिक अधिकार नहीं था । प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी कब्जेराज ली तब उनको किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि नहीं दिलवाया गया ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । आराजी का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादीगण को पुनः खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2013 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2013 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा पेश किसी भी प्रकार के दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया और आनन–फानन में अपना निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात में नकल जमाबन्दियॉ एवं खसरा गिरदावरियॉ संवत् 2035 से 2038 एंव संवत् 2058 से 2061 खसरा गिरदावरी संवत् 2054 से 2057 आदि में अपीलान्ट का कब्जा काश्त दर्ज होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया । अपीलान्ट ने मौखिक साक्ष्य गवाह बयानों से वादग्रस्त आराजी पर अपना पिछले 40–50 वर्षो से कब्जा काश्त होना साबित किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अपीलान्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 234 की रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 232 की 03 बीघा 01 बिस्वा कुल 02 किता की 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित

थी । उक्त भूमि संवत् 2016 से 2024 की जमाबन्दी में अपीलान्टगण के खाते में थी। सेटलमेंट के बाद संवत् 2034 से 2037 की जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम हटाते हुए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम दर्ज किया गया और उक्त आराज़ी को जलमग्न तलाई अंकित कर दिया एवं उक्त आराजी को खाते सरकार दर्ज कर दिया गया । इस आराजी का अपीलान्ट को न तो कोई मुआवजा दिया गया और न ही कोई नोटिस दिया । इस आराजी पर अपीलान्ट बदस्तूर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड एवं खसरा गिरदावरियों का अवलोकन नहीं किया है एवं मौखिक साक्ष्य की तरफ भी ध्यान नहीं दिया है । अपीलान्ट को इस आराजी का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जलमग्न तलाई है जिस पर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2013 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श–पी–1 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 232 एवं 234 की 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्रीकृष्ण, राधाकृष्ण पिसरान गोपाल के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी–2 संलग्न है जो खसरा नम्बर 97 एवं 98 का है खसरा नम्बर 98 के साबिक खसरा नम्बरान में वादी के खाते में दर्ज कोई खसरा नम्बरान अंकित नहीं है और हाल खसरा नम्बर 97 के मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बरान में अन्य खसरा नम्बरान के अलावा खसरा नम्बर 232 से खसरा नम्बर 237 अंकित है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– पी–3 संलग्न है, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– पी 4 लगायत 7 सलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 प्रदर्श–पी–8 के अनुसार खसरा नम्बर 98 एवं 99 सरकार के खाते में जलमग्न चराई हेतु दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2038 से 2057 के अनुसार खसरा नम्बर 97 की आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है ।

10. बयानों में पीडब्ल्यू–1 राधाकिशन, पीडब्ल्यू– 2 रामनारायण, पीडब्ल्यू–3 बृजराज सिंह कराये गये हैं ।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की हैं जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 33 पर अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय किसी भी तनकी पर विवेचन किये बिना ही सीधे निर्णय पारित कर दिया जो व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत है। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2013 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के अन्दर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा